Mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26- अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./प्रांगण/तौलकांटा/266/e-1052794/350 भोपाल, दिनांक 30/04/2026

//परिपत्र//

विषय- प्रदेश की मंडियों/उपमंडियों में बी.ओ.टी. आधार पर 10 मी. टन क्षमता के इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे की संस्थापना के संबंध में।

संदर्भ- 1. कार्यालयीन परिपत्र क्र./प्रांगण/तौलकांटा/266/e-1052794/190-191 दिनांक 05/03/2026।
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2225-2226 दिनांक 31/08/2023 एवं परिपत्र क्र. 1166-67 दिनांक 04/03/2025।

विषयांकित संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से कृषि उपज की तौल व्यवस्था के सुद्रणीकरण हेतु प्रदेश की मंडियों/उपमंडियों में इलेक्ट्रॉनिक तौलकाँटों की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश प्रसारित किये गए हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रतियां संलग्न हैं।

संदर्भित परिपत्र क्रमांक 1 में मंडी के किसी प्रांगण में तौलकांटा की आवश्यकता परिलक्षित होने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापित किये जाने हेतु मंडी समिति को सक्षम किया गया है, तथा परिपत्र की कंडिका 16.4 अनुसार मंडी के किसी प्रांगण में पूर्व से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापित होकर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा की आवश्यकता होने की दशा में ही स्थापना पूर्व मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल से सक्षम अनुमति प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता है।

कृषक संगठनों द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मंडियों/उपमंडियों में कृषकों की कृषि उपज की सुचारू एवं त्वरित तौल हेतु 10 मी. टन इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापित किये जाने की मांग की जाती रही है। मंडी समितियों में पूर्व से ही अधिक क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापित होने पर 10 मी.टन तौलकांटे की स्थापना हेतु मुख्यालय स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होती है, जो समयसाध्य प्रक्रिया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कृषक हित में निर्णय लिया जाता है कि-

1. "प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में संदर्भित परिपत्र क्रमांक 190-191 दिनांक 05/03/2026 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए बी.ओ.टी. आधार पर 10 मी.टन क्षमता के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे को स्थापित किये जाने की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की जाती है।
2. मंडी समितियां, संबंधित आंचलिक अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग के पर्यवेक्षण में मंडी/उपमंडी प्रांगण में बी.ओ.टी. आधार पर 10 मी.टन क्षमता का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्वयं स्थापित कर सकेगी, इसके लिए मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल से पृथक से अनुमति की आवश्यकता नही होगी।
3. यदि किसी मंडी प्रांगण में पूर्व से ही अन्य क्षमता के बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे स्थापित हैं, किन्तु 10 मी.टन क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापित नहीं है, तो इस स्थिति में उपरोक्त आधार पर 10 मी.टन क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापित किया जा सकेगा।

4. यदि किसी मंडी प्रांगण में पूर्व से ही 10 मी.टन क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापित हैं, तो अतिरिक्त 10 मी.टन क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापित करने हेतु परिपत्र की कंडिका 16.4 अनुसार मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल से सक्षम अनुमति प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता होगी।
5. यह परिपत्र, कार्यालयीन परिपत्र क्र./प्रांगण/तौलकांटा/266/e-1052794/190-191 दिनांक 05/03/2026 का भाग होगा एवं साथ में पढ़ा जावेगा।"

यह परिपत्र तत्काल प्रभावशील होकर अन्य आगामी आदेश तक क्रियाशील रहेगा।

Digitally signed by
Kumar Purushottam
Date: 29-04-2026
16:21:52

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ0 क्र./प्रांगण/ तौलकांटा/266/e-1052794/ 351 भोपाल, दिनांक 30/ 04/2026

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
2- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3- कलेक्टर, जिला-समस्त म.प्र.।
4- निज सहायक, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
5- अपर संचालक (समस्त), मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
6- अधीक्षण यंत्री, मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
7- संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
8- संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,................. (समस्त)
9- कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग, ... (समस्त)
10- भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ... (समस्त)
11- प्रोग्रामर, मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर उक्त परिपत्र सर्वसम्बन्धितों को सम्प्रेषण एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Digitally signed by
Pravin Choudhary
Date: 29-04-2026
18:33:53

संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल